

न्यू वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005 के बारे में सवाल (Questions about the new Work at Height Regulations 2005)

- क्या न्यू वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005 में सीढ़ियों के उपयोग पर रोक लगाई गई है?
- क्या न्यू वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005 के बारे में एचएसई द्वारा अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस का प्रकाशन किया जाएगा?
- वर्किंग प्लेटफार्म के बारे में गार्डरैल में क्या बदलाव किए गए हैं?

क्या न्यू वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005 में सीढ़ियों के उपयोग पर रोक लगाई गई है?

वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005 में सीढ़ियों के उपयोग की मनाही नहीं है। इसमें यह अपेक्षा की गई है कि सीढ़ियों के उपयोग पर तभी विचार किया जाए जब जोखिम आकलन में यह दिखाया गया हो कि कम जोखिम और काम की कम समयावधि के कारण या काम की जगह को ध्यान में रखते हुए, अन्य उपकरणों का प्रयोग उचित नहीं है।

एच एस सी स्वीकार करता है कि ऊँचाई पर काम करते समय सीढ़ियों का प्रयोग व्यावहारिक है और तथ्य तो यह है कि बहुत सी परिस्थितियों में आमतौर पर इनका प्रयोग होता है। सीढ़ियों का प्रयोग रोजगार के लगभग सभी क्षेत्रों में किया जाता है, कई बार तो ऐसे प्रयोजनों के लिए भी जिनके लिए इन्हें डिजाइन ही नहीं किया गया है।

वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005 के शेड्यूल 6 में सीढ़ियों के लिए अपेक्षाओं के बारे में बताया गया है।

शेड्यूल 6 में सीढ़ियों के लिए अपेक्षाएं:

1. प्रत्येक रोजगारदाता यह सुनिश्चित करेगा कि ऊँचाई पर काम करते समय सीढ़ियों का प्रयोग केवल तभी किया जाय जब मैनेजमेन्ट रेग्यूलेशन्स के नियम 3 के तहत जोखिम का आकलन किया जा चुका हो और कम जोखिम तथा निम्नलिखित के कारण अधिक उपयोगी उपकरण का प्रयोग सुसंगत नहीं हो :
 - a. प्रयोग की थोड़ी सी अवधि;
 - b. कार्यस्थल पर विद्यमान व्यवस्था जिन्हें वह बदल नहीं सकता हो।
2. जिस किसी भी सतह पर सीढ़ी रखी जानी हो, वह स्थायी, अटल और पर्याप्त मजबूत होनी चाहिए तथा उचित रूप से ऐसे मिश्रण की हो ताकि सीढ़ी को इस प्रकार सहारा दे कि इसकी बल्लियां या पौड़ियां एकदम क्षैतिज रहें, और इनपर जो भार डाला जाए उसे सहन कर सकें।
3. सीढ़ियाँ इस प्रकार लगाई जाएं कि प्रयोग के दौरान हिले डुलें नहीं।
4. लटकी हुई सीढ़ी इस प्रकार से लगाई जाए कि वह अपनी जगह से हिले नहीं और वह झूलने से भी बचे, लेकिन झुकावदार सीढ़ियां इसका अपवाद हो सकती हैं।
5. इधर-उधर लगाई जा सकने वाली सीढ़ियों को प्रयोग के दौरान फिसलने से बचाने के लिए -
 - a. सीढ़ी के ऊपरी और निचले सिरों पर चौखट लगी हो;
 - b. फिसलन रोधक या ऐसा ही कोई अन्य जुगाड़ किया जाए; या
 - c. समान प्रभाव वाली कोई अन्य व्यवस्था।
6. यदि मजबूती से हाथ जमाने के लिए कोई अन्य व्यवस्था न कर दी गई हो तो जिस सीढ़ी का प्रयोग किया जाए वह जितनी ऊँचाई तक जाना हो उससे कुछ अधिक लम्बी होनी चाहिए।
7. इन्टरलॉकिंग या बढ़ाई हुई सीढ़ियों का प्रयोग तभी किया जाए जब इसके आपस में जुड़ने वाले हिस्सों को अच्छी तरह कस दिया गया हो, ताकि वो प्रयोग के दौरान सरकें नहीं।
8. इधर-उधर ले जाने वाली सीढ़ी इस प्रकार की हो कि उसापर चढ़ने के पहले, वो अपनी जगह से नहीं हिले।
9. यदि एक सीढ़ी या रन ऑफ लैंडर आधार से 9 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई तक जाते हों, तो जहाँ भी समुचित रूप से व्यावहारिक हो, थोड़े थोड़े अन्तराल पर खड़े हो सकने की जगह या रेस्ट प्लेटफार्म बनाए जाएं।
10. हरेक सीढ़ी को इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए कि-
 - a. प्रयोग करने वालों को मजबूत पकड़ और सहारा हमेशा मिल सके; और

- b. यदि सीढ़ियों पर चढ़ने वाला भार भी लिए हो, तो उसे पकड़ने के लिए सही हथियार होने चाहिए, यदि सीढ़ी के साथ हथियार लगे होना व्यावहारिक नहीं, तो ऐसी हालत में मैनेजमेन्ट रेग्यूलेशन्स के नियम 3 के तहत जोखिम आकलन में बताया गया है, कि सीढ़ियों के प्रयोग तभी उचित हैं, जब -
- जोखिम कम हो; और
 - इस्तेमाल की समावधि थोड़ी हो. सन्दर्भ : वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005. [Her Majesty's Stationery Office](#) नामक वेबसाइट से, [स्टेट्यूटरी इन्स्ट्रुमेंट](#) (Statutory Instrument) को डाउनलोड किया जा सकता है. एच एस ई का मुफ्त लीफलेट [The Working at Height Regulations 2005: A brief guide](#) (INDG401) भी है. इसके अलावा, एच एस ई बुक्स से मुद्रित प्रतियाँ भी ली जा सकती हैं.

क्या न्यू वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005 के बारे में एचएसई द्वारा अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस का प्रकाशन किया जाएगा?

न्यू वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स के लिए एसीओपी (ACOP) तैयार करने के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है. तथापि, एचएसई के भीतर ही खास उद्योग क्षेत्रों द्वारा अपने लिए खास गाइडेन्स तैयार किए जा सकते हैं. इस समय इन पर विचार चल रहा है.

वर्किंग प्लेटफार्म के बारे में गार्डरल में क्या बदलाव किए गए हैं?

नए रेग्यूलेशन्स में यह अपेक्षा की गई है कि निर्माण कार्यों के लिए हैन्डरेल की ऊँचाई कम से कम 950 मिमी होनी चाहिए, पुराने रेग्यूलेशन्स में यह ऊँचाई 910 मिमी थी. यदि पहले ही से 910 मिमी की हैन्डरेल लगी हुई है तो इसी ऊँचाई की हैन्डरेल लगे रहने दी जा सकती है, जबतक कि इन्हें बदला न जा रहा हो. सबसे ऊपरी रेल और बीच में लगी हुई रेलों के बीच 470 मिमी से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए. पैरों के पंजे टिकाने के लिए बोर्ड समुचित और पर्याप्त संख्या में होने चाहिए.

सन्दर्भ: वर्क एट हाइट रेग्यूलेशन्स 2005.

[Her Majesty's Stationery Office](#) वेबसाइट से [स्टेट्यूटरी इन्स्ट्रुमेंट](#) (Statutory Instrument) को डाउनलोड किया जा सकता है.

एच एस ई ने मुफ्त लीफलेट [The Working at Height Regulations 2005: A brief guide](#) (INDG401) तैयार किया है.

इसके अलावा, एच एस ई बुक्स से मुद्रित प्रतियाँ भी ली जा सकती हैं.